प्रेस नोट दिनांक 5.5.2019

निर्वाचन संचालन शाखा

11–सीधी संसदीय क्षेत्र के 1 मतदान केन्द्र में पुनर्मतदान

दिनांक 29.4.2019 को प्रदेश के प्रथम चरण के मतदान के दौरान 11–सीधी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 77–सीधी विधान सभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र 195–डेम्हा में मतदान अधिकारी द्वारा प्रक्रिया का ठीक से पालन न किए जाने के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा इस मतदान केन्द्र में दिनांक 6.5.2019 को पुनर्मतदान कराए जाने का आदेश दिया है ।

पुनर्मतदान का कारण :

- मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचकों की पहचान हेतु प्रस्तुत अभिलेखों का क्रमांक मतदाता रजिस्टर में अंकित न करते हुए केवल उस अभिलेख का नाम अंकित किया गया ।
- इस मतदान केन्द्र में मतदान का प्रतिशत निम्नानुसार रहा है :
  पुरूष : 98.82 महिला: 69.60 कुल : 85.07

पुनमर्तदान के लिए व्यवस्थाओं का विवरण :

- समस्त अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं को पुनर्मतदान के दिनांक, समय एवं स्थान के संबंध में लिखित रूप से सूचित किया गया है ।
- मतदान क्षेत्र में ढोल पीट कर मतदाताओं को पुनर्मतदान की जानकारी दी गई है ।
- मतदान दल को मतदान सामग्री सहित मतदान केन्द्र की ओर रवाना कर दिया गया है ।

प्रेस नोट

दिनांक 05.05.2019

पोलिंग पार्टी रवानगी दिवस घटना

आज दिनांक 05.05.2019 को लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु मध्यप्रदेश के द्वितीय चरण के जिलो के द्वारा सामग्री वितरण का कार्य सम्पन्न किया जाकर सभी पोलिंग पार्टियों को मतदान सम्पन्न कराये जाने हेतु रवाना किया गया है।

खण्डवा जिले से सूचना प्राप्त हुई कि प्रातः 10:30 बजे हरसूद विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 07 के मतदान कर्मियों को ले जा रही बस का स्टेयरिंग फेल हो जाने के कारण बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस महिला मतदान कर्मियों को मतदान केन्द्र तक ले जा रही थी। दुर्घटना में 06 महिला कर्मी मामूली तौर पर घायल हुई थी। किसी भी मतदान कर्मी को गंभीर चोट नही आई है। दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये थे। घायल महिला कर्मियों को अस्पताल में उपचार भी दिलाया गया तथा रिजर्व पोलिंग पार्टी से महिला कर्मियों को संबंधित मतदान केन्द्रों में लगाया जाकर रवाना किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य के दूसरे चरण (राष्ट्रीय पांचवे चरण) हेतु

प्रेस नोट

दिनांक 05.05.2019

कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा

दिनांक 10.3.2019 से 04.05.2019 तक की जानकारी

केन्द्रीय पुलिस बल का डिप्लॉयमेन्ट

मध्यप्रदेश में होने वाले लोकसभा निर्वाचन 2019 के दूसरे चरण (राष्ट्रीय पांचवे चरण) दिनांक 06.05.2019 के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों की 85 कंपनीयां सुरक्षा के लिए आवंटित की गई है तथा इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश सशस्त्र बल की 45 कंपनीया, 2586 पुलिस अधिकारी, 12,942 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल, 8028 होमगार्ड तथा 15227 स्पेशल पुलिस ऑफिसर लगाएं जा रहे है।

गैर जमानती वॉरंट

1. गैर जमानती वॉरंटों की संख्या (10.03.2019 से 04.05.2019 तक)– तामील –12,076
2. गैर जमानती वॅारंटो की संख्या दिनांक 04.05.2019 तक – लंबित –12,947

प्रतिबंधात्क कार्यवाही– 31,727

लाईसेन्स शस्त्र जमा

1. जमा– 62, 518
2. हथियार जप्ती संख्या – 1,250

वल्नरेबिलिटी मैपिंग

1. वल्नरेबल क्षेत्र चिन्हांकन – 414
2. बाधा पहुंचाने वाले संभावित व्यक्तियों की पहचान– 734
3. प्रतिबंधात्मक कार्यवाही– 373

निर्वाचन संबंधी हिंसा – 0

क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की संख्या

क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की संख्या– 3,208

नाकों की संख्या

इंटर डिस्ट्रिक नाके –127

इंटर स्टेट नाके – 123